संख्या 1023 / उन्तीस/1(05 पत्रा.)/2005

प्रेषक,

डा० आर० एस० टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1—प्रबन्ध निदेशक
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून ।

2— मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 16 अप्रैल , 2005

विषयः निष्क्रिय चाल / खाल का पुनर्जीवीकरण।

महोदय,

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'पाइप्ड वाटर सप्लाई' के माध्यम से जलापूर्ति व्यवस्था से पूर्व परम्परागत रूप से ग्रामवासियों द्वारा अपने मवेशियों की पेयजल व्यवस्था के लिये ग्राम एवं चरागाहों के समीप चाल / खाल (पांडरा) निर्मित किये गये थे । इन चाल / खालों में वर्षा का पानी एकत्र रहता था तथा मवेशियों के पीने के पानी की व्यवस्था इन्हीं से पूर्ण होती थी । ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निदान हेतु 'पाइप्ड वाटर सप्लाई' के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराने के पश्चात् मवेशियों हेतु पेयजल की उपर्युक्त व्यवस्था, रखरखाव के अभाव में निष्क्रिय/ क्षतिग्रस्त हो गयी है । वर्तमान में ग्राम हेतु निर्मित पेयजल योजना जो कि मात्र मनुष्यों के पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्मित है, से अन्य कोई विकल्प न होने के कारण मवेशियों के पेयजल की आवश्यकता की भी पूर्ति की जा रही है, जिससे यह पेयजल योजनायें अपर्याप्त हो गयी हैं । इन चाल / खालों के रखरखाव के अभाव में निष्क्रिय होने से जहां एक ओर ग्रामीण पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है वहीं इनमें वर्षा जल का भण्डारण न होने के कारण स्थानीय जल स्रोतों के रिचार्ज की व्यवस्था समाप्त हो गयी है, जिससे स्थानीय जल स्रोत भी सूख गये हैं ।

2— शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल निगम एवं उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा जिन भी ग्रामों की पेयजल योजनाओं का नव निर्माण,पुनर्गठन एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है उन ग्रामों में अनिवार्य रूप से पूर्व में निर्मित चाल / खाल (पांडरा) का भी पुनर्जीवन किया जाय । उल्लेखनीय है कि अधिकांश ग्रामों में पूर्व में निर्मित चाल / खाल विद्यमान हैं, जिनकी सफाई (डिसिल्टिंग) कर इस प्रकार पुनर्जीवित किया जाना है, ताकि उनमें वर्षा जल का भण्डारण हो सके । यह भी निर्देश

दिये जाते हैं कि इन योजनाओं में उपरोक्त कार्य का प्राविधान किया जाये तथा यदि वर्तमान में प्राविधान न हो तो योजना की बचत से यह कार्य सम्पन्न किया जाय। इस प्रकार पुनर्जीवित की गयी चाल / खाल की फोटो भी अभिलेखों में रखी जाय, ताकि पुनर्जीवित की गयी चाल/खाल का विधिवत् अभिलेखन एवं अनुश्रवण किया जा सके।

भवदीय,

(डा० आर० एस० टोलिया)
मुख्य सचिव

प्र०संख्या: 1023 /उन्तीस / /2005 तददिनांक

प्रतिलिपिः

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त, गढवाल / कुमायूँ मण्डल, पौडी / नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल को इस आशय से प्रेषित कि जनपद में जिला प्लान के अन्तर्गत ग्राम में कराये जाने वाले विकास कार्यों में उपरोक्तानुसार चाल / खाल(पॉड्स) के पुनर्जीवन कार्य को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये तथा समय-समय पर इसका अनुश्रवण भी किया जाय।
5. निदेशक,स्वजल को इस निर्देश के साथ कि उनके द्वारा सैक्टर रिफार्म के अन्तर्गत जो भी कार्य कराये जा रहे हों, उनके अन्तर्गत उपरोक्तानुसार चाल/ खाल के पुनर्जीवन कार्य को अनिवार्य रूप से किया जाय।
6. मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल,देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित चाल / खालों के पुनर्जीवन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर वन विभाग के माध्यम से कराया जाय।
7. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम , इन्दिरानगर , फारेस्ट कालोनी , देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि चाल / खालों के पुनर्जीवन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर जलागम परियोजना निदेशालय के माध्यम से कराया जाय।

आज्ञा से,

(बी० पी० पाण्डेय)
सचिव